फार्म–ए

न्यायालय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट अल्मोड़ा।
उपस्थित :– दया राम, उत्तराखण्ड न्यायिक सेवा।

निर्णय की तिथि–29.04.2023

फौजदारी वाद संख्या–198 वर्ष 2022

CNR NO. UKAL020002212022

प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या–84 वर्ष 2021
अन्तर्गत धारा–336, 427, 504, 506 भारतीय दण्ड संहिता
थाना–कोतवाली अल्मोड़ा।

शिकायतकर्ता	श्री असलम खान द्वारा राज्य
विद्वान सहायक अभियोजन अधिकारी	श्री बी.पी. टम्टा
अभियुक्त	श्री एजाज अख्तर
अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता	श्री विनोद फुलारा

फार्म–बी	
अपराध की तिथि	29.08.2021
एफ0आई0आर0 की तिथि	01.09.2021
आरोप पत्र दाखिल करने की तिथि	02.02.2022
आरोप बनाये जाने की तिथि	14.06.2022
साक्ष्य प्रारम्भ करने की तिथि	22.07.2022
निर्णय सुरक्षित रखने की तिथि	26.04.2023
निर्णय की तिथि	29.04.2023
दण्डादेश की तिथि, यदि कोई हो	–

अभियुक्त का विवरण :–

अभियुक्त की रैंक	अभियुक्त का नाम	आत्मसमर्पण का दिनांक	जमानत पर रिहा होने का दिनांक	आरोपित अपराध	दोषमुक्ति या दोषसिद्धि	सजा का विवरण	जेल में बितायी गयी अवधि
01	एजाज अख्तर पुत्र स्व0 अब्दुल जब्बार निवासी मोहल्ला जोशी खोला, अल्मोड़ा कोतवाली अल्मोड़ा, तहसील व जिला अल्मोड़ा	09.05.2022	09.05.2022	अन्तर्गत धारा–336, 427, 504, 506 भारतीय दण्ड संहिता	दोषमुक्त	–	–

फार्म–सी

अभियोजन/बचाव पक्ष/न्यायालय साक्षियों की सूची

अ–अभियोजन

रैंक	साक्षियों के नाम	साक्ष्य की प्रकृति चक्षुदर्शी/पुलिस/एक्सपर्ट/चिकित्सक/पंच/अन्य साक्षीगण
1	पी0डब्ल्यू0–1 आलिया खान	चक्षुदर्शी/तथ्य की साक्षी
2	पी0डब्ल्यू0–2 असलम खान	वादी/पीड़ित/तथ्य का साक्षी
3	पी0डब्ल्यू0–3 नरगिस खान	चक्षुदर्शी/तथ्य की साक्षी
4	पी0डब्ल्यू0–4 सबीना	चक्षुदर्शी/तथ्य की साक्षी
5	पी0डब्ल्यू0–5 श्री मुरारी प्रसाद	चक्षुदर्शी/तथ्य का साक्षी
6	पी0डब्ल्यू0–6 एस0आई0 संजय जोशी	विवेचक
7	पी0डब्ल्यू0–7 रईशा	अन्य साक्षी

ब–बचाव पक्ष के साक्षीगण, यदि कोई हो

रैंक	साक्षियों के नाम	साक्ष्य की प्रकृति चक्षुदर्शी/पुलिस/एक्सपर्ट/चिकित्सक/पंच/अन्य साक्षीगण
.....शून्य.....		

स–न्यायालय साक्षीगण, यदि कोई हो

रैंक	साक्षियों के नाम	साक्ष्य की प्रकृति चक्षुदर्शी/पुलिस/एक्सपर्ट/चिकित्सक/पंच/अन्य साक्षीगण
.....शून्य.....		

अभियोजन/बचाव पक्ष/न्यायालय के दस्तावेजों की सूची

अ–अभियोजन

क्रम संख्या	प्रदर्श संख्या	विवरण
1	प्रदर्श–पी–1/पी.डब्ल्यू.–2	तहरीर
2	प्रदर्श–पी–2/पी.डब्ल्यू.–2	धारा–65बी भारतीय साक्ष्य अधिनियम का प्रमाण पत्र
3	प्रदर्श–पी–3/पी.डब्ल्यू.–6	नक्शा नजरी घटनास्थल

4	प्रदर्श–पी–4 / पी.डब्ल्यू.–6	पेन ड्राइव लेने की फर्द
5	प्रदर्श–पी–5 / पी.डब्ल्यू.–6	धारा–41क दण्ड प्रक्रिया संहिता का नोटिस
6	प्रदर्श–पी–6 / पी.डब्ल्यू.–6	आरोप पत्र

ब–बचाव पक्ष		
क्रम संख्या	प्रदर्श संख्या	विवरण
1	का0सं0– 46ख / 2,	एस.एस.पी. अल्मोड़ा को दी गई रिपोर्ट की प्रति
2	का0सं0–46ख / 3 लगायत 46ख / 9,	न्यायालय जिला न्यायाधीश, अल्मोड़ा के प्रकीर्ण दीवानी अपील सं0–05 वर्ष 2021 में पारित निर्णय दिनांकित 09.11.2021 की छायाप्रति
3	का0सं0– 46ख / 11 लगायत 46ख / 13	न्यायालय सिविल जज, अल्मोड़ा के दीवानी वाद सं0–21 / 2021 की सत्यापित प्रति प्रस्तुत की गई है।

स–न्यायालय प्रपत्र		
क्रम संख्या	प्रदर्श संख्या	विवरण
.....शून्य.....		

द–वस्तु प्रदर्श		
क्रम संख्या	वस्तु प्रदर्श संख्या	विवरण
.....शून्य.....		

<u>निर्णय</u>

<u>29.04.2023</u>

थाना कोतवाली अल्मोड़ा द्वारा अभियुक्त एजाज अख्तर के विरूद्ध धारा–336, 427, 504, 506 भारतीय दण्ड संहिता, 1860 (जिसे आगे संक्षेप में भा0द0सं0 कहा जाएगा) के अन्तर्गत आरोप–पत्र न्यायालय में प्रेषित किया गया।

2. संक्षेप में अभियोजन कथानक इस प्रकार है कि वादी असलम खान द्वारा कोतवाली अल्मोड़ा में दिनांक 01.09. 2021 को इस आशय की तहरीर दी गई कि दिनांक 29.08. 2021 को समय प्रातः 9:30 बजे वह अपनी हक कब्जे की जमीन

पर मोहल्ला जोशीखोला, राजपुरा अल्मोड़ा में मकान निर्माण का कार्य करवा रहा था, तभी अभियुक्त एजाज अख्तर अपने घर से गाली गलौच करने लगा और काम कर रहे मिस्त्रियों पर एवं वादी व उसके परिवार पर पत्थर बरसाने लगा। वादी के मना करने पर अभियुक्त मां–बहन की गंदी गालियां देकर कहने लगा कि मादरचोद मैं तुझे यहीं काटकर दफना दूंगा। तेरी लाश के टुकड़े कर दूंगा। उस दिन से अभियुक्त लगातार गाली गलौच करता चला आ रहा है। अभियुक्त ने वादी के निर्माणाधीन मकान के पीलर हिलाकर क्षतिग्रस्त कर दिये हैं।

3. वादी मुकदमा की उक्त लिखित तहरीर के आधार पर थाना कोतवाली अल्मोड़ा में यह मुकदमा अपराध संख्या–84/2021, अन्तर्गत धारा–336, 427, 504, 506 भा0द0सं0 बनाम एजाज अख्तर में पंजीकृत हुआ।

4. थाना कोतवाली अल्मोड़ा में अभियुक्त एजाज अख्तर के विरुद्ध पंजीकृत मुकदमा अपराध संख्या–84/2021 के मामले में विवेचक द्वारा दौराने विवेचना दस्तावेजी व मौखिक साक्ष्य संकलित किये गये तथा इन समस्त साक्ष्यों के आधार पर अभियुक्त के विरुद्ध प्रथम दृष्टया विचारण हेतु पर्याप्त मामला होने के आधार पर विवेचना के उपरान्त विवेचक के द्वारा अभियुक्त एजाज अख्तर के विरुद्ध अन्तर्गत धारा–336, 427, 504, 506 भा0द0सं0 के अपराध के विचारण हेतु आरोप पत्र न्यायालय के समक्ष प्रेषित किया गया।

5. न्यायालय द्वारा उक्त आरोप–पत्र के आधार पर धारा–190(1)(ख) दण्ड प्रक्रिया संहिता के अन्तर्गत अभियुक्त एजाज अख्तर के विरुद्ध धारा– 336, 427, 504, 506 के अपराध का संज्ञान लिया गया। अभियुक्त इस मामले में जमानत पर है। अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता को धारा–207 दण्ड प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत अभियोजन प्रपत्रों की नकलें प्रदान की गईं।

6. अभियुक्त के विरुद्ध धारा– 336, 427, 504, 506 भा0द0सं0 के अंतर्गत आरोप विरचित किये गये। अभियुक्त ने आरोप सुनकर व समझकर आरोपों से इन्कार किया व विचारण की मांग की।

7. अभियोजन की ओर से मौखिक साक्ष्य में पी0डब्ल्यू0–1 लगायत पी.डब्ल्यू.–7 को न्यायालय में परीक्षित कराया गया। उपरोक्त साक्षीगण द्वारा दस्तावेजी साक्ष्य में प्रदर्श–पी–1 लगायत पी–6 को साबित किया गया, जिनका विस्तृत वर्णन ऊपर सारणी में दिया गया है और तथ्यों की पुनरावृत्ति न हो, इसलिए यहां पर इस बात का उल्लेख नहीं किया जा रहा है।

8. अभियोजन साक्ष्य के उपरान्त अभियुक्त के बयान अंतर्गत धारा–313 दण्ड प्रक्रिया संहिता अंकित किये गये, जिसमें अभियुक्त द्वारा अभियोजन कथानक व साक्ष्य को गलत बताते हुए कथन किया गया कि वह निर्दोष है। उसका वादी के साथ एक सिविल केस चल रहा है, जिसमें कोर्ट ने उसके पक्ष में स्टे आदेश पारित किया है, जिस कारण उसे परेशान करने की नीयत से वादी द्वारा रंजिशन उसके विरूद्ध यह केस किया गया है।

9. अभियुक्त द्वारा बचाव साक्ष्य में सूची का0सं0–46ख से एस.एस.पी. अल्मोड़ा को दी गई रिपोर्ट की प्रति का0सं0– 46ख/2, न्यायालय जिला न्यायाधीश, अल्मोड़ा के प्रकीर्ण दीवानी अपील सं0–05 वर्ष 2021 में पारित निर्णय दिनांकित 09.11.2021 की छायाप्रति का0सं0–46ख/3 लगायत 46ख/9, न्यायालय सिविल जज, अल्मोड़ा के दीवानी वाद सं0–21/2021 की सत्यापित प्रति का0सं0– 46ख/11 लगायत 46ख/13 प्रस्तुत की गई है।

10. न्यायालय द्वारा राज्य की ओर से विद्वान अभियोजन अधिकारी तथा अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता को

सुना तथा पत्रावली पर उपलब्ध समस्त मौखिक एवं दस्तावेजी साक्ष्य का गहनता से अवलोकन किया गया।

11. अभियोजन अधिकारी द्वारा अपने तर्क प्रस्तुत करते हुए कथन किया कि अभियोजन के द्वारा न्यायालय में अभियोजन कथानक के समर्थन में 07 साक्षीगण को प्रस्तुत किया गया। उक्त साक्षीगण ने अभियोजन कथानक को समर्थन प्रदान किया तथा उक्त साक्षीगण को साक्ष्य के आधार पर अभियोजन का मामला सिद्ध होता है तथा अभियुक्त कठोर दण्ड से दोषसिद्ध किये जाने योग्य है।

12. बचाव पक्ष के विद्वान अधिवक्ता द्वारा बचाव में तर्क प्रस्तुत करते हुए कथन किया कि अभियोजन द्वारा प्रस्तुत साक्षीगण के साक्ष्य में गंभीर विरोधाभास है। अभियोजन कथानक के अनुसार घटना दिनांक 29.08.2021 की होने का कथन किया गया है जबकि प्रथम सूचना रिपोर्ट लगभग तीन दिन के विलम्ब से दिनांक 01.09.2021 को प्रस्तुत की गई है, जिसमें विलम्ब का कोई कारण दर्शित नहीं किया गया है। वादी मुकदमा एवं अभियुक्त के मध्य जमीन संबंधी विवाद न्यायालय में विचाराधीन है। उक्त मुकदमे में प्रभाव बनाने के लिए वादी मुकदमा ने अभियुक्त के विरूद्ध उक्त झूठा मुकदमा दायर किया गया है। अभियोजन द्वारा प्रस्तुत मामले में कोई भी स्वतन्त्र साक्षी परीक्षित नहीं कराया गया है, जो भी साक्षी परीक्षित कराये गये हैं, वे पारिवारिक सदस्य हैं। अभियोजन, अभियुक्त के विरूद्ध मामले को साबित करने में असफल रहा है, जिस कारण अभियुक्त दोषमुक्त किये जाने योग्य है।

13. अभियोजन पक्ष द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य तथा पक्षकारों के तर्कों के विवेचन से इस न्यायालय को निम्न वर्णित प्रश्न के सम्बन्ध में निष्कर्ष पर पहुंचना है :–

(1) क्या दिनांक 29.08.2021 को समय प्रातः 9:30 बजे स्थान मोहल्ला जोशीखोला राजपुरा अल्मोड़ा

में जब वादी अपनी जमीन पर मकान निर्माण का कार्य करवा रहा था तो अभियुक्त द्वारा वादी, उसके परिवार वालों व उसके मिस्त्रियों पर पत्थर बरसाये गये, वादी के निर्माणाधीन मकान के पीलर क्षतिग्रस्त किये गये तथा वादी को गंदी गालियां दीं तथा जान से मारने की धमकी दी गई अथवा नहीं ?

14. अभियोजन के द्वारा न्यायालय में पी.डब्ल्यू.–1 के रूप में आलिया खान पुत्री असलम खान को परीक्षित कराया। साक्षी द्वारा अपनी मुख्य परीक्षा के साक्ष्य में कथन किया गया कि, ''घटना दिनांक–29.08.2021, समय प्रातःकालीन करीब लगभग सवा नौ–साढ़े नौ बजे का था। मैं तथा मेरे माता–पिता घर पर थे। हमारा मकान का काम चल रहा था, तथा मजदूर काम कर रहे थे, इतने में हमारे बगल में रहने वाले एजाज अख्तर मकान निमार्ण वाले जगह पर आये, और हमारे साथ गाली–गलौज करने लगे, और मारने की धमकी देने लगे, और कहने लगे कि यहां मकान कैसे बना रहे हो, यहां कोई मकान नहीं बनेगा, और काम करने वाले मिस्तरी/मजदूरों के उपर पत्थर फेंकने लगा, जिस कारण हमें मकान निर्माण का कार्य उस समय रोकना पड़ा, मजदूर डर से भाग गये थे। कुछ समय बाद एजाज अख्तर अपने घर चले गये। दिनांक–01.09.2021 को हमने रिपोर्ट लिखवायी। तहरीर मेरे द्वारा लिखी गयी है। तहरीर पत्रावली पर कागज सं0–3क/4 संलग्न है जिसे देखकर गवाह ने कहा कि यह तहरीर मेरे हस्तलेख में है, और उस पर बने अपने हस्ताक्षर की शिनाख्त की, जिसको अंग्रेजी के ए अक्षर से चिन्हित किया गया। पुलिस ने मेरे बयान लिये थे। मैंने घटना के समय अपने मोबाईल में घटना को रिकॉर्ड किया था। पैन ड्राईव में विडियो अपलोड कर पुलिस को दिया गया था।''

15. इस साक्षी ने अपनी प्रतिपरीक्षा में कथन किया है

कि, ''मुझे इस बात की जानकारी है कि अभियुक्त ने इस भूमि के बारे सिविल न्यायालय में मेरे पिता जी के विरूद्ध दीवानी वाद प्रस्तुत किया है। दीवानी वाद प्रस्तुत करते वक्त न्यायालय ने विवादित भूमि के सम्बन्ध में निमार्ण कार्य ना करने के लिये स्टे दिया था। स्वंय कहा, स्टे खत्म हो गया था, तो हमने निमार्ण शुरू कर दिया। स्टे खत्म होने के आदेश के बाद हमने निमार्ण कार्य शुरू कर दिया था, परन्तु हमें स्टे खत्म होने का आदेश लिखित में प्राप्त नहीं हुआ था।'' उक्त साक्षी ने यह भी कथन किया कि, ''घटनास्थल मेरे घर के समीप के अगल–बगल करीब 8–10 परिवार रहते हैं। हमारे पड़ोस में काफी लोग निवास करते हैं। विवादित भूमि में करीब 3–4 मिस्त्री व 6–7 मजदूर कार्य कर रहे थे।''

16. अभियोजन के द्वारा न्यायालय में पी.डब्ल्यू.–2 के रूप में वादी मुकदमा असलम खान पुत्र नजर मो0 खान को परीक्षित कराया। साक्षी द्वारा अपनी मुख्य परीक्षा के साक्ष्य में कथन किया गया कि, ''दिनांक 29.08.2021 को समय सुबह 9:30 बजे मैं अपने खेत में प्रधानमंत्री आवास योजन के तहत मिले हुए मकान का निर्माण कार्य करवा रहा था तो उस समय मेरा पड़ोसी एजाज अख्तर निर्माण स्थल में आया और मुझे व मेरे परिवार को गाली गलौज करने लगा तथा मुझे व परिवार को मादरचोद, बहनचोद किस लिए निर्माण करवा रहे हो, तथा तुम्हें काट के रख दूंगा कहने लगा तथा मिस्त्री व काम कर रहे मजदूरों को गाली गलौज करने लगा तथा मकान के पिलरों को हिलाने लगा। मैंने इस मामले की रिपोर्ट थाना कोतवाली अल्मोड़ा में दर्ज करवायी जो पत्रावली में का0सं0– 3क/4 है जो मेरी बेटी ने लिखी है, जिसमें मेरे हस्ताक्षर हैं, जिनहें अंग्रेजी के 'बी' अक्षर से चिहिन्त किया गया है, शिनाख्त करता हूं, जिस पर प्रदर्श–पी–1 डाला गया। पत्रावली में का0सं0– 7क मौका नक्शा नजरी विवेचक ने मेरी निशानदेही पर बनाया, जिस

पर मेरे हस्ताक्षर हैं, अपने हस्ताक्षर की शिनाख्त करता हूं, जिसे अंग्रेजी के 'ए' अक्षर से चिहिन्त किया गया। पत्रावली में का0सं0– 8क धारा–65बी भारतीय साक्ष्य अधिनियम का प्रमाण पत्र संलग्न है, जो इस घटना से सम्बन्धित विडियो फुटेज से सम्बन्धित है, जिसे मेरी बेटी द्वारा अपने मोबाइल से रिकॉर्ड कर विडियो बनाई गई थी। उक्त विडियो की रिकॉर्डिंग मेरे द्वारा विवेचक को पेन ड्राइव में दी गई जिसकी फर्द विवेचक द्वारा तैयार की गई, जिस पर मेरे हस्ताक्षर करवाये गये। उक्त फर्द पत्रावली में का0सं0 9क है। उक्त फर्द में अपने हस्ताक्षर की शिनाख्त साक्षी द्वारा की गई, जिसे अंग्रेजी के 'ए' अक्षर से चिह्नित किया गया। विवेचक को विडियो रिकॉर्डिंग के सम्बन्ध में मेरे द्वारा धारा–65बी भारतीय साक्ष्य अधिनियम का प्रमाण पत्र दिया गया, जिसमें मेरे हस्ताक्षर हैं, शिनाख्त करता हूं, जिस पर प्रदर्श–पी–2 डाला गया है।''

17. इस साक्षी ने अपनी प्रतिपरीक्षा में कथन किया है कि, ''इस भूमि की तस्दीक के बारे में मेरे व अभियुक्त के बीच तहसील व एस.डी.एम. कोर्ट में कई बार कार्यवाहियां हो चुकी हैं। इसी विवादित भूमि के बारे में अभियुक्त ने मेरे विरूद्ध सिविल न्यायालय में दावा किया हुआ है। इस जमीन में निर्माण कार्य करने से रोकने के लिए सिविल न्यायालय द्वारा मेरे विरूद्ध वर्तमान में स्टे दिया है।'' उक्त साक्षी ने प्रतिपरीक्षा में आगे कथन किया है कि ''विवादित भूमि में निर्माण कार्य करवाने के लिए मेरे द्वारा तीन मिस्त्री और दो मजदूर लगाये हुए थे। निर्माण कार्य के दौरान मेरी लड़की वहीं मौजूद थी। जिस विडियो को मैं बनाना कह रहा हूं, वह विडियो मेरी लड़की ने स्वयं अपने मोबाइल से बनाया था। इस विडियो को पुलिस चौकी से पुलिस कर्मी ने आकर बाजार से मोबाइल की दुकान से पेन ड्राइव में डलवाया था। पेन ड्राइव में विडियो दिनांक 10.10.2021 को डलवाया था। दिनांक 29.08.2021 को पुलिस ने

थाने में मोबाइल को लेकर सील कर दिया था..... मेरे घर से आगे पीछे करीब 4–5 परिवार रहते हैं। मैं इस मोहल्ले में करीब 65–70 साल से निवास करते आ रहा हूं। इन परिवारों में 5–10–15 लोग रहते होंगे।'' इस साक्षी से बचाव पक्ष द्वारा प्रश्न किया गया कि, जो पत्थर चलाने की बात रिपोर्ट में लिखी है, उससे किसी मिस्त्री, मजदूर, आपको व आपके परिवार वालों को चोट लगी थी? जिस पर इस साक्षी द्वारा अपने उत्तर में कथन किया गया कि, ''मिस्त्री को पत्थर लगे थे, वे काम छोड़कर चले गये थे। किन मिस्त्रयों को पत्थर लगे थे, मैं उनका नाम नहीं बता सकता हूं।''

18. अभियोजन की ओर से पी.डब्ल्यू.–3 के रूप में नरगिस खान पत्नी असलम खान को न्यायालय में परीक्षित कराया गया। साक्षी द्वारा अपनी मुख्य परीक्षा के साक्ष्य में कथन किया गया कि, ''मैं, राजपुरा, अल्मोड़ा में अपने परिवार के साथ अपने पैत्रक मकान में रहती हूं। दिनांक–29.08.2021 को प्रातः लगभग नौ–साढ़े नौ बजे हमारे पड़ोसी एजाज अख्तर जहां पर हम अपनी जमीन पर मकान बना रहे थे, आया और हमारे निमार्णाधीन मकान में पत्थर मारने लगा और मेरे, मेरे पति, मेरी पुत्री व वहां पर काम कर रहे मजदूरो के साथ गाली–गलौज करने लगा, और पत्थर बाजी के डर से मजदूर मकान का कार्य छोड़कर भाग गये। एजाज अख्तर मेरे, मेरे पति व मेरी पुत्री के साथ मारपीट करने पर उतांरू हो गया, और कहने लगा कि ''तुम जिस जगह पर मकान का कार्य कर रहे हो, यह जमीन मेरी है।'' इस पर मेरे द्वारा कहा गया कि ये जमीन हमारी पुश्तैनी है, और इस पर हम खेती बाड़ी करते थे, तथा हमको आवास बनाने हेतु सरकार से दो लाख रूपये की मदद मिली है, और हम अपनी जमीन पर मकान बना रहे है। इस पर एजाज अख्तर ने निमार्णाधीन मकान के पिलरों को हिलाकर क्षर्तिग्रस्त कर दिया और मुझको व मेरे परिवालों को जान से

मारने की धमकी देने लगा, और पुत्री ने इस घटना की विडियो अपने मोबाईल से बनायी थी।''

19. साक्षी द्वारा अपनी प्रतिपरीक्षा में कथन किया है कि, ''मुझे इस बारे में कोई जानकारी नहीं है कि मेरे पति असलम खान व अभियुक्त एजाज अख्तर के बीच न्यायालय में कोई मुकदमा चल रहा है, या नहीं। मैं अपने पति के साथ ही निवास करती हूं ..... विवादित भूमि में हमारे द्वारा 6 पिलर डालें गये हैं।''

20. अभियोजन की ओर से पी.डब्ल्यू.–4 के रूप में सबीना पुत्री अकरम खान को न्यायालय में परीक्षित कराया गया, जिनके द्वारा अपनी मुख्य परीक्षा के साक्ष्य में कथन किया गया कि, ''मैं, जोशीखोला, राजपुरा मैं निवास करती हूं। मैं आलिया की चाची हूं, इनका कोई निजी मकान नहीं है, यह अपने दादा के मकान में रहते हैं, असलम खान ने अपने जमीन पर मकान बनाने शुरू किया। दिनांक–29.08.2021 को एजाज अख्तर ने आलिया व उनके परिवार वालों को गंदी–गंदी गालियां दी, व पथराव किया और आलिया व उनके परिवार को जान से मारने की धमकी देने लगा, तथा मकान के खड़े पिलरों को जोर–जोर से हिलाकर क्षतिग्रस्त करने लगा, और कहने लगा कि यहां पर मकान का कार्य बंद करो, और कहने लगा कि यहां से चले जाओ। उक्त भूमि जहां पर असलम खान मकान का कार्य कर रहे हैं, वह भूमि हमारे परिवार की निजी भूमि है।''

21. साक्षी द्वारा अपनी प्रतिपरीक्षा में कथन किया है कि, ''मुझे इस बात की जानकारी है कि अभियुक्त ने असलम खान के विरूद्ध इसी भूमि के बारे में दीवानी न्यायालय में वाद दायर किया है। मुझे इस बात की जानकारी नहीं है कि न्यायालय ने इस भूमि में निर्माण कार्य ना करने के लिये कोई स्थगन आदेश दिया हो। विवादित भूमि में दो मिस्तरी और पॉच–छः मजदूर कार्य कर रहे थे।..... मुझे याद नहीं है कि

विवादित भूमि में कितने पिलर डाले गये हैं। मैं आलिया की चाची लगती हूं, इसलिये मैं आज न्यायालय में गवाही देने आयी हूं।'' इस साक्षी ने बचाव पक्ष के अधिवक्ता द्वारा सुझाव में कथन किया गया कि ''यह कहना भी गलत है कि रिपोर्टर व उसके पिता तथा मैं एक ही परिवार के हों।''

22. अभियोजन की ओर से पी.डब्ल्यू.–5 के रूप में मुरारी प्रसाद पुत्र स्व0 जवाहर प्रसाद को न्यायालय में परीक्षित कराया गया, जिनके द्वारा अपनी मुख्य परीक्षा के साक्ष्य में कथन किया गया कि, ''मैं, मूल रूप से बिहार का रहने वाला हूं, और मैं अल्मोड़ा में राजमिस्त्री का काम करता हूं। दिनांक–29.08.2021 को समय प्रातः 9:30 बजे की बात है, मैं तथा मेरे साथ दो नेपाली, दो बिहारी मजदूर थे, हम लोग असलम खान के राजपुरा, अल्मोड़ा में मकान निमार्ण का कार्य कर रहे थे। अभियुक्त एजाज अख्तर अपने छत पर आया और कहने लगा कि भागो सालों बिहारियों और उपर से पत्थर व टीन हमारे उपर फेंकने लगा। जब हमने अपना सामान बांधना शुरू किया तो एजाज अख्तर नीचे आ गया, और हमारे द्वारा बनाये गये 6 कॉलमों को अपने हाथों से धक्का मार–मार कर गिरा दिया। अभियुक्त एजाज अख्तर ने असलम खान व उसके परिवार वालों को भी गंदी–गंदी गालियां दी, असलम खान का परिवार हमारी मदद के लिये वहां पर आया। घटना के बाद हम लोग अपना सामान बांधकर वहां से चले गये थे। पुलिस ने मेरे बयान लिये थे।''

23. साक्षी द्वारा अपनी प्रतिपरीक्षा में कथन किया है कि, ''मैं आज न्यायालय में गवाही देने असलम खान के साथ ही आया हूं .....असलम खान के मकान के अगल–बगल काफी लोग रहते हैं। मैंने पुलिस वालों को बताया था कि हमने घटनास्थल पर 6 पिलर डाले हुये हैं ..... जिस वक्त की मैं घटना बता रहा हूं उस वक्त अगल–बगल वाले व पूरा

मौहल्ला देख रहा था।''

24. अभियोजन के द्वारा पी.डब्ल्यू.–6 के रूप में उपरोक्त मामले के विवेचक एस0आई0 संजय जोशी को न्यायालय में परीक्षित कराया गया है। साक्षी द्वारा अपनी मुख्य परीक्षा के साक्ष्य में कथन किया गया कि, ''मैं वर्तमान में थाना लमगड़ा में उपनिरीक्षक के पद पर नियुक्त हूं। दिनांक–23.09.2021 को मैं कोतवाली अल्मोड़ा में उपनिरीक्षक के पद पर नियुक्त था, उसी दिन मुकदमा उपरोक्त की विवेचना प्रभारी निरीक्षक कोतवाली अल्मोड़ा के आदेशानुसार मुझ उपनिरीक्षक को प्राप्त हुयी थी। दिनांक–03.10.2021 को मेरे द्वारा मुकदमा उपरोक्त में पूर्व विवेचक उपनिरीक्षक अमर पाल द्वारा किता की गयी, केस डायरी क्षेत्राधिकारी अल्मोड़ा कार्यालय से प्राप्त कर पर्चा प्रथम नकल चिक, नकल रपट का अवलोकन किया गया। दिनांक–07.10.2021 को मेरे द्वारा मुकदमा उपरोक्त के वादी असलम खान के बयान दर्ज कर सी0डी0 अंकित किये गये। दिनांक–10.10.2021 को मेरे द्वारा मुकदमा उपरोक्त में गवाह श्रीमती नरगिस खान पत्नी श्री असलम खान, कु0 आलिया पुत्री श्री असलम खान, रहिसा पत्नी श्री असरफ खान, श्रीमती सबीना पत्नी श्री अकरम खान, श्रीमती इसरत खान पत्नी श्री वसीम खान निवासीगण जोशीखोला, राजपुरा, अल्मोड़ा के बयान अंकित किये गये। इसी दिन मेरे द्वारा मुकदमा वादी असलम खान की निशानदेही पर निरीक्षण घटनास्थल कर नक्शा नजरी बनाया गया। जो पत्रावली पर कागज सं0–7क संलग्न है। जो मेरे लेख व हस्ताक्षर में है। जिसकी मैं शिनाख्त करता हूं। जिस पर प्रदर्श पी–03 डाला गया। इसी दिन मेरे द्वारा मुकदमा उपरोक्त की घटना से सम्बन्धित मोबाईल रिकॉडिंग जो वादी की पुत्री आलिया द्वारा अपने मोबाईल में रिकॉर्ड की गयी थी। वादी से एक फर्द तथा 65बी0 प्रमाण पत्र द्वारा पेन ड्राईव में ली गयी। धारा–65बी0 साक्ष्य अधिनियम का प्रमाण पत्र प्रदर्श पी–2

है। जिस पर मेरे हस्ताक्षर बने हैं। अपने हस्ताक्षर की शिनाख्त करता हूं। हस्ताक्षर को अंग्रेजी के कैपिटल ए अक्षर से चिन्हित किया गया। पत्रावली में पेन ड्राईव लेने की फर्द कागज सं0–9क संलग्न है जो मेरे लेख एंव हस्ताक्षर में है जिसकी मैं शिनाख्त करता हूं जिस पर प्रदर्श पी–04 डाला गया। एक माल मुकदमाती सील सर्व मोहर मय नमूना मोहर माननीय न्यायालय में लाया गया, जिस पर उपरोक्त मामले से सम्बन्धित इबारत दर्ज है, को माननीय न्यायालय के अनुमति से खोला गया। दिनांक–12.10.2021 को मेरे द्वारा मुकदमा उपरोक्त में अभियुक्त एजाज अख्तर को 41क द0प्र0सं0 का नोटिस तामिल कराया गया है, तथा अभियुक्त के बयान सी0डी0 अंकित किये गये। पत्रावली में धारा–41क द0प्र0सं का नोटिस कागज सं0–11क/1 संलग्न है। जो मेरे लेख एवं हस्ताक्षर में है। जिसकी मैं शिनाख्त करता हूं। जिस पर प्रदर्श पी–05 डाला गया। दिनांक–14.10.2021 को मुकदमा उपरोक्त में गवाह मुरारी प्रसाद के बयान सी0डी0 अंकित कर मुकदमा उपरोक्त में तमामी विवेचनात्मक कार्यवाही पूर्ण होने के उपरांत अभियुक्त एजाज अख्तर पुत्र स्व0 अब्दुल जब्बार निवासी मोहल्ला जोशीखोला, राजपुरा, अल्मोड़ा के विरूद्ध धारा–336, 427, 504, 506 भा0द0सं0, में आरोप पत्र माननीय न्यायालय में प्रस्तुत किया गया जो पत्रावली में कागज सं0–4क/1 लगायत 4क/6 संलग्न है जिस पर मेरे हस्ताक्षर हैं, शिनाख्त करता हूं जिस पर प्रदर्श पी–06 डाला गया। इस स्तर पर बचाव पक्ष की ओर से स्थगन प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने पर शेष साक्ष्य अग्रिम तिथि तक स्थगित किया जाता है।''

25. इस साक्षी ने अपनी प्रतिपरीक्षा में कथन किया है कि, ''विडियो बनाये जाने के सम्बन्ध में मेरे द्वारा विवेचना के दौरान असलम खान से धारा–65बी भारतीय साक्ष्य अधिनियम का प्रमाण पत्र लिया गया था। नक्शा नजरी प्रदर्श पी–3 में

एक्स स्थान पर लेंटर डाला जाना दिखाया गया है..... विवादित भूमि के सम्बन्ध में विवेचना के दौरान असलम खान ने मुझे बताया था कि उक्त भूमि के सम्बन्ध में विवाद चल रहा है। इस सम्बन्ध में मेरे द्वारा वादी से न्यायालय में लम्बित वाद के कागज मांगे गये थे, लेकिन उनके द्वारा बताया गया कि कागज मेरे पास नहीं है। मेरे द्वारा उक्त विवादित भूमि में दिवानी न्यायालय द्वारा निर्माण कार्य करने के सम्बन्ध स्थगन आदेश पारित किये जाने के सम्बन्ध में दौराने विवेचना नहीं की थी।''

26. अभियोजन द्वारा पी.डब्ल्यू.–7 के रूप में रईशा खान पुत्री अशरफ खान को न्यायालय में परीक्षित कराया गया। अभियोजन द्वारा इस साक्षी को पक्षद्रोही घोषित कराया गया। साक्षी द्वारा अपनी मुख्य परीक्षा के साक्ष्य में कथन किया गया कि, ''मैं, अभियुक्त एजाज अख्तर को जानती हूं। वह मेरा पड़ोसी है। दिनांक–29.08.2021 को मैं अपने घर पर थी। असलम रिश्ते में मेरे देवर लगते हैं। मेरे घर के आगे असलम की पुश्तैनी जमीन है, जिस पर वे अपना मकान का निर्माण कर रहे थे। मुझे घटना के बारे में कोई जानकारी नहीं है।''

27. इस साक्षी ने अपनी प्रतिपरीक्षा में कथन किया गया कि, ''मेरे घर से असलम खान और अभियुक्त का घर दिखता है, इन दोनों का घर अगल–बगल है। दिनांक–29.08.2021 की सुबह मैं घर पर ही थी। उस दिन मैंने एजाज अख्तर को गाली–गलौज, जान से मारने की धमकी, व पत्थर फेंकते हुये नहीं देखा। रिपोर्टर असलम खान से मेरे सम्बन्ध ठीक हैं, वह मेरे देवर हैं।''

28. अभियुक्त की ओर से सूची का0सं0–46ख से एस.एस.पी. अल्मोड़ा को दी गई रिपोर्ट की प्रति का0सं0–46ख/2, न्यायालय जिला न्यायाधीश, अल्मोड़ा के प्रकीर्ण दीवानी अपील सं0–05 वर्ष 2021 में पारित निर्णय दिनांकित 09.11.2021 की छायाप्रति का0सं0–46ख/3 लगायत 46ख/9,

न्यायालय सिविल जज, अल्मोड़ा के दीवानी वाद सं0–21/2021 की सत्यापित प्रति का0सं0– 46ख/11 लगायत 46ख/13 प्रस्तुत की गई है। अभियुक्त एजाज अख्तर द्वारा न्यायालय में बचाव में पेश प्रार्थना पत्र 46ख/2 जो कि अभियुक्त द्वारा वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक अल्मोड़ा को प्रार्थी की प्रथम सूचना दर्ज कर आवश्यक कार्यवाही किये जाने बाबत दिनांक 19.07.2021 को प्रस्तुत किया गया है। अपने उक्त प्रार्थना पत्र पर इस आशय का उल्लेख किया गया है कि ''प्रार्थी उपरोक्त पते का निवासी है तथा खेत सं0–14883 में 05 मुट्ठी भूमि का मालिक काबिज अपने तयेरे भाईजान के साथ संयुक्त रूप से विरासतन रूप है। उक्त भूमि के विशिष्ठ भाग में प्रार्थी एवं उसके भाईजान का कब्जा घेराबंदी के अंदर बकायदा चला आ रहा है कि दिनांक 18.07.2021 को असलम खान पुत्र नजर मोहम्मद खान तथा उनके पुत्र आमिर खान, सुभान खान, अमान खान के द्वारा प्रार्थी के हक कब्जे के उक्त खेत की बाढ़ को तोड़ दिया और जबरन एक पेड़ अमरूद का, तथा मोरपंख का पेड़, जो उसी जमीन में काट डाले। मना करने पर आमादा फिसादी होने लगे और उक्त भूमि को स्वयं की होना कहकर, झगड़ा, मारपीट पर आमादा होने लगे, प्रार्थी एवं उसके परिवार को जानमाल का खतरा बना हुआ है।''

29. अभियुक्त एजाज अख्तर एवं अन्य के द्वारा वादी मुकदमा असलम खान एवं अन्य के विरूद्ध न्यायालय सिविल जज, अल्मोड़ा में दीवानी वाद संख्या–21/2021 वास्ते स्थाई निषेधाज्ञा, आदेशात्मक व्यादेश चाहने बाबत् दिनांक 01.09.2021 को वाद दायर किया गया तथा उक्त दिनांक को ही वादी मुकदमा असलम खान द्वारा अभियुक्त ऐजाज अख्तर के विरूद्ध प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या– 0084/2021 कोतवाली अल्मोड़ा में दर्ज करायी, जिसमें कथित घटना का दिनांक 29.08.2021 अंकित किया गया है। पत्रावली पर अभियोजन साक्ष्य एवं प्रस्तुत

प्रपत्रों के अवलोकन से यह दर्शित है कि वादी मुकदमा एवं अभियुक्त के मध्य भूमि संबंधी विवाद चला आ रहा है तथा अभियुक्त एजाज अख्तर के द्वारा न्यायालय में प्रस्तुत वाद में जो वाद कारण दर्शाया है, वह दिनांक 18.07.2021 का होना दर्शाया है, जो कि वादी मुकदमा असलम खान द्वारा अभियुक्त के विरूद्ध की गई प्रथम सूचना रिपोर्ट दिनांक 01.09.2021 से पूर्व का है, जिससे भी यह स्पष्ट है कि वादी मुकदमा द्वारा उक्त भूमि संबंधी विवाद में प्रभाव बनाने के लिए अभियुक्त के विरूद्ध फौजदारी मुकदमा दर्ज कराया गया।

30. पत्रावली के अवलोकन से यह भी स्पष्ट है कि साक्षी पी.डब्ल्यू.–1 आलिया खान द्वारा अपनी प्रतिपरीक्षा में विवादित भूमि पर 3–4 मिस्त्री, 6–7 मजदूरों के द्वारा कार्य करने का कथन किया है, जबकि पी.डब्ल्यू.–2 वादी मुकदमा असलम खान द्वारा अपनी प्रतिपरीक्षा में 3 मिस्त्री व 2 मजदूरों के द्वारा कार्य करने का कथन किया गया है तथा निर्माण कार्य के दौरान अपनी लड़की आलिया को वहां मौजूद होना बताया है तथा पी.डब्ल्यू.–4 सबीना द्वारा विवादित भूमि पर 2 मिस्त्री व 5–6 मजदूरों के द्वारा कार्य करना बताया गया है तथा उपरोक्त मामले के साक्षी पी.डब्ल्यू.–5 मुरारी प्रसाद जिनके मिस्त्री के रूप में विवादित सम्पत्ति में कार्य करने का कथन अभियोजन द्वारा किया गया है, उक्त साक्षी ने अपनी मुख्य परीक्षा में कथन किया गया है कि ''मेरे साक्ष 2 नेपाली व 2 बिहारी मजदूर थे।'' उक्त के अतिरिक्त पी.डब्ल्यू.–5 ने अपनी मुख्य परीक्षा में यह भी कथन किया है, ''जब हमने अपना सामान बांधना शुरू किया तो एजाज अख्तर नीचे आ गया और हमारे द्वारा बनाये गये 6 कॉलमों को अपने हाथों से धक्का मारकर गिरा दिया।'' जबकि अन्य साक्षीगण द्वारा अपनी प्रतिपरीक्षा में कथन किया गया है कि अभियुक्त एजाज अख्तर द्वारा पीलर हिलाये गये। ऐसी स्थिति में अभियोजन द्वारा प्रस्तुत साक्षीगण के साक्ष्य में

विरोधाभास है, जो कि अभियोजन कथानक को मात्र संदेह प्रदान करता है। उक्त के अतिरिक्त पत्रावली पर घटना के संबंध में मोबाइल से विडियो रिकॉर्ड किये जाने का कथन अभियोजन द्वारा किया गया। पत्रावली पर साक्षीगण के साक्ष्य से यह स्पष्ट हो गया है कि कथित रूप से वादी मुकदमा की पुत्री आलिया खान द्वारा कथित घटना की विडियो रिकॉर्डिंग अपने मोबाइल से किया जाना अभियोजन कथानक में किया गया है, लेकिन उपरोक्त मामले के विवेचक एस.आई. संजय जोशी द्वारा वादी मुकदमा असलम खान जो कि आलिया खान का पिता है, से धारा–65बी. भारतीय साक्ष्य अधिनियम के अन्तर्गत प्रमाण पत्र लिया गया, जो कि नियमानुसार वादी की पुत्री से लिया जाना था। उक्त स्थिति भी अभियोजन कथानक को संदेह के घेरे में लाकर खड़ा कर देती है।

31. उक्त के अतिरिक्त पत्रावली पर अभियोजन के द्वारा का0सं0–10क/1 फोटोग्राफ की छायाप्रति प्रस्तुत की गई हैं। उक्त फोटोग्राफ की छायाप्रतियों से यह स्पष्ट है कि उक्त फोटोग्राफ में दिनांक 12.09.2021 समय 10:01 मिनट अंकित होना स्पष्ट है, जिससे भी यह स्पष्ट है कि वादी मुकदमा द्वारा कथित दिनांक 29.08.2021 को कोई घटना कारित नहीं हुई है जिसका समर्थन पी.डब्ल्यू.–7 रईशा के द्वारा भी अपनी प्रतिपरीक्षा में किया गया है। उक्त साक्षी ने अपनी प्रतिपरीक्षा में कथन किया है कि ''दिनांक 29.08.2021 की सुबह मैं घर पर ही थी, उस दिन मैंने एजाज अख्तर को गाली गलौच, जान से मारने की धमकी व पत्थर फेंकते हुए नहीं देखा। रिपोर्टर असलम खान से मेरे संबंध ठीक हैं, वह मेरे देवर हैं।''

32. पत्रावली पर दिनांक 01.10.2022 को न्यायालय द्वारा अभियोजन पक्ष की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र जिसमें उक्त पेन ड्राइव साक्ष्य के रूप में प्रस्तुत किये जाने हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया था, उक्त प्रार्थना पत्र का0सं0– 25क को

न्यायालय द्वारा खारिज किया गया है।

33. पत्रावली पर पी.डब्ल्यू.–1 आलिया खान, पी.डब्ल्यू. –2 वादी मुकदमा असलम खान एवं पी.डब्ल्यू.–4 सबीना द्वारा अपनी प्रतिपरीक्षा में दीवानी न्यायालय द्वारा पारित स्थगन आदेश होने के संबंध में कथन किया है, जिससे भी यह स्पष्ट है कि वादी मुकदमा असलम खान के विरूद्ध न्यायालय द्वारा उक्त भूमि के संबंध में स्थगन आदेश पारित किया गया है।

34. अतः उपरोक्त समस्त तथ्यों एवं परिस्थितियों तथा पत्रावली पर उपलब्ध मौखिक एवं दस्तावेजी साक्ष्यों के आधार पर अभियुक्त एजाज अख्तर को धारा–336, 427, 504, 506 भा0द0सं0 के अपराध के अन्तर्गत दोषसिद्ध किये जाने का आधार पर्याप्त प्रतीत नहीं होता है। परिणामस्वरूप अभियुक्त उसके विरूद्ध आरोपित अपराध दण्डनीय अन्तर्गत धारा– 336, 427, 504, 506 भा0द0सं0 के अपराध से दोषमुक्त किये जाने योग्य है।

<u>आदेश</u>

अभियुक्त एजाज अख्तर को उसके विरुद्ध आरोपित अपराध दण्डनीय अन्तर्गत धारा– 336, 427, 504, 506 भारतीय दण्ड संहिता से सन्देह का लाभ प्रदान करते हुए दोषमुक्त किया जाता है।

अभियुक्त जमानत पर है। उसके व्यक्तिगत बंधपत्र एवं प्रतिभूगण के जमानतनामे अगले छः माह तक धारा–437(क) दण्ड प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत प्रवृत्त रहेंगे तथा इस दौरान माननीय उच्चतर न्यायालय में अपील न होने की दशा में स्वतः निरस्त हो जायेंगे।

प्रस्तुत मामले में बरामद माल मुकदमाती (यदि कोई हो), को अपील अवधि समाप्त होने अथवा अपील होने की दशा में माननीय अपीलीय न्यायालय के आदेश के अधीन

नियमानुसार निस्तारित किया जायेगा।

इस निर्णय को अविलम्ब NJDG पोर्टल पर अपलोड किया जाए।

दिनांक–29.04.2023

(दया राम)
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,
अल्मोड़ा।

आज यह निर्णयादेश मेरे द्वारा खुले न्यायालय में हस्ताक्षरित एवं दिनांकित कर, उद्घोषित किया गया।

दिनांक– 29.04.2023

(दया राम)
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,
अल्मोड़ा।